



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : अजमेर

आम सूचना (Public Notice)

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 03.10.2024 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 01.11.1993 से पेंशन लागू करने (जो पूर्व में 01.04.2018 से लागू है) के आदेश जारी किए गए हैं ।

इसकी अनुपालना में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 31.03.2010 से पूर्व बैंक सेवा जॉइन की थी तथा वे सेवानिवृत्त/ दिवंगत हो गए हैं, जिन्हें पेंशन/ कुटुंब पेंशन का लाभ पूर्व में नहीं मिल रहा है अर्थात जो पात्र कर्मचारी इस लाभ से छूट गए थे, वे या मृतक कर्मचारी की स्थिति में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी अब पेंशन प्राप्त कर सकेंगे । 20 वर्ष की सक्रिय सेवा बाद त्यागपत्रित, चिकित्सकीय अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, पदच्युत कार्मिकों को भी विनियमों के तहत पात्रता के आधार पर इसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु पेंशन या कुटुंब पेंशन के लिए पात्र पूर्व कार्मिक/ उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को सूचित किया जाता है कि अपने से संबंधित आवश्यक सूचनाएं 10.10.2024 तक आवश्यक रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दें ताकि उन्हें नियमानुसार लाभान्वित किया जा सके । इस हेतु आवश्यक प्रपत्र/ प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.brkgb.com पर उपलब्ध हैं ।

महाप्रबंधक